कोर्ट का आदेश है कि मामला है या नहीं

अनुमत

रिपोर्टिंग के लिए

{ Chapter VIII, Rule 32 (2) (b)}

केस का विवरण

रिट याचिका संख्या 103 वर्ष 2003

सते सिंह राणा

बनाम

उत्तराँचल राज्य और अन्य।

ए0आर0आर0 (रिपोर्टिंग के लिए स्वीकृत)

~~**रिपोर्टिंग के लिए स्वीकृत नहीं**~~

(बी0एस0 वर्मा, जे0)

दिनांक: 20.9.2006

न्यायाधीश के प्रथमाक्षर

उच्च न्यायालय नैनीताल उत्तरांचल

रिट याचिका (एम/एस) संख्या 103 वर्ष 2003

सत्ये सिंह राणा, पुत्र श्री मातवर सिंह राणा, निवासी कैलाश गेट, मुनि–की–रेती, टेहरी गढ़वाल।

...याचिकाकर्ता.

बनाम

1. उत्तरांचल राज्य, कलेक्टर, टिहरी गढ़वाल के माध्यम से, टिहरी।

2. गढ़वाल मण्डल विकास निगमए देहरादूनए के माध्यम से प्रबंध निदेशक।

3. श्री सुनील गुप्ता, पुत्र श्री बाबू राम गुप्ता, निवासी मुनि–की–रेती, टिहरी गढ़वाल।

...उत्तरदाता.....

याचिकाकर्ता के वकील श्री बी0पी0नौटियाल।

श्री नंद प्रसाद, राज्य–प्रतिवादी संख्या 1 के लिए विद्वान स्थायी वकील।

श्री आलोक सिंह वरिष्ठ अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 2 के विद्वान वकील।

तारीख़ 20 सितंबर 2006

पी0सीः माननीय बी0एस0 वर्मा0 जे.

इस रिट याचिका के माध्यम से याचिकाकर्ता ने क्रमशः प्रतिवादी संख्या 1. कलेक्टर टेहरी गढ़वाल और आयुक्त, गढ़वाल क्षेत्र द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.3.1998 एवं 26.9.2002 को निरस्त करने की प्रार्थना की। आदेश दिनांक 31.3.1998, द्वारा कलेक्टर ने श्री सुनील गुप्ता और श्री सते सिंह राणा के पक्ष में शासकीय अनुदान/पट्टा दिनांक 25.6.1994 एवं स्थानांतरण आदेश दिनांक 30.6.1994 को निरस्त कर दिया था। आयुक्त गढ़वाल क्षेत्र ने आदेश दिनांक 26.9.2002, के द्वारा अपीलकर्ता/याचिकाकर्ता की अनुपस्थिति में याचिकर्ता की अपील गुणदोष के के आधार पर खारिज कर दी

प्रासंगिक तथ्य यह है कि सरकारी अनुदान अधिनियम आदेश संख्या 214/सरकार द्वारा अनुदान–94 दिनांक 25.6.1994 एक पट्टा स्वीकृत किया गया था। इस प्रकार खाता संख्या 3/7 की 5 नाली, 7 मुट्ठी भूमि, खसरा नंबर 7 को पर्यटन के उद्देश्य से श्री सुनील गुप्ता को पट्टे पर दिया गया था। चूंकि अनुदान भूमि पर निर्माण करने में उक्त सुनील गुप्ता ने असमर्थता जताई और सत्ये सिंह राणा के पक्ष में पट्टे हस्तांतरण के लिए जिलाधिकारी को अनुरोध किया। जिन्होंने अपने आदेश दिनांक 30.6.1994 द्वारा पट्टा याचिकाकर्ता सत्ये सिंह राणा के नाम हस्तांतरित कर दिया, रिकार्ड से ऐसा प्रतीत होता है कि प्रबंध निदेशक, गढ़वाल मंडल विकास निगम, देहरादून ने विभिन्न पत्रों के माध्यम से सुनील गुप्ता के पक्ष में मूल पट्टा देने पर यह कहते हुए आपत्ति जताई थी कि सुनील गुप्ता के पक्ष में प्रश्नगत पटटा नियम विरूद्ध दिया गया है। कलेक्टर द्वारा सुनील गुप्ता को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया जो तामिली हेतु तहसीलदार नरेंद्रनगर को भेजा गया जो बिना तामिली के इस पृष्ठांकन के साथ कि श्री सुनील गुप्ता प्रिंस होटल के पास देहरादून में रहते हैं, और वहां एक दुकान चलाते हैं और जिस पट्टे की बात हो

रही है याचिकाकर्ता सत्ये सिंह राणा के नाम पर स्थानांतरित कर दिया गया। तदनुसार, कलेक्टर द्वारा सत्ये सिंह राणा को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। सत्ये सिंह राणा ने अपना जवाब दाखिल किया। इसके बाद कलेक्टर... रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री पर विचार करने के बाद निष्कर्ष पर पहुंचे

कि प्रश्नगत पट्टा प्रासंगिक नियम और प्रावधान के उल्लंघन में प्रदान किया गया था तदनुसार, प्रश्नगत पट्टा आदेश दिनांक 31.3.1998 द्वारा रद्द कर दिया गया।

याचिकाकर्ता कलेक्टर के आदेश से व्यथित होकर आयुक्त गढ़वाल क्षेत्र के समक्ष अपील में गये, जिन्होंने अपीलार्थी की अनुपस्थिति में अपील का निर्णय गुण–दोष के आधार पर किया गउसी आदेश दिनांक 26.9.2002 द्वारा खारिज कर दिया गया, जिससे यह वर्तमान उत्पन्न हुआ।

इस रिट याचिका में याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा एकमात्र कानूनी आधार पर बल दिया गया है, कि आक्षेपित आदेश में अपीलीय प्राधिकारी ने अपीलकर्ता की चूक के आधार पर अपील का निर्णय गुण–दोष के आधार पर करके कानून की स्पष्ट त्रुटि की है। जिससे कि प्रश्नगत आदेश अवैध हो जाता है।

प्रतिद्वंद्वी पक्षों की ओर से उपस्थित वकीलों की मैने बहस सुनी तथा अभिलेख पर उपलब्ध विवादित आदेशों सहित रिकार्ड का अवलोकन किया ।

यह स्वीकार्य है कि कलेक्टर टेहरी गढ़वाल के द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.3. 1998 को याचिकाकर्ता–अपीलकर्ता के द्वारा आयुक्त गढ़वाल क्षेत्र के समक्ष अपील में चुनौती दी गई। यह इस बात से इनकार नहीं किया गया है कि अपील के मामलों में, सी0पी0सी0 के आदेश 41 के प्रावधान लागू होते हैं। आदेश 41, सिविल प्रक्रिया संहिता का नियम 17 इस प्रकार है:-

''17. अपीलकर्ता की चूक के लिए अपील खारिज करना-(1) जहां नियत दिन पर, या किसी अन्य दिन पर सुनवाई होगी स्थगित किया गया हो और सुनवाई के लिए बुलाये जाने पर अपीलकर्ता उपस्थित नहीं होता है तो न्यायालय अपील खारिज करने का आदेश दे सकता है।

स्पष्टीकरण– इस उपनियम की कोई भी बात न्यायालय को अपील गुणदोष पर खारिज करने के लिए सशक्त करने वाली नहीं समझी जायेगी।

(2) **अपील की एक पक्षीय सुनवाई** – जहां अपीलार्थी उपस्थित होता है और प्रतिवादी उपस्थित नहीं होता है तो अपील की एक पक्षीय सुनवाई की जाएगी।

इस प्रकार इस प्रावधान से यह स्पष्ट है कि जहां अपीलकर्ता सुनवाई के लिए निर्धारित तिथि पर न्यायालय में उपस्थित नहीं होता है अपील खारिज करने का आदेश दे सकता है, लेकिन किसी भी स्थिति में न्यायालय को गुण–दोष के आधार पर अपील खारिज करने का अधिकार नहीं है। एक पक्षीय सुनवाई के संबंध में, यह केवल तभी अनुमेय है जब अपीलकर्ता का प्रतिनिधित्व किया गया है और उत्तरदाता उपस्थित नहीं हैं जैसा कि उप–नियम (2) में प्रावधानित है।

पूर्वोक्त. वर्तमान मामले में, विद्वान आयुक्त ने अपील को योग्यता के आधार पर एकपक्षीय रूप से अपीलकर्ता की अनुपस्थिति में खारिज करने का आदेश पारित कर विधिक त्रुटि की है। स्वीकार्य रूप से दिनांक 26.9.2002 को न तो अपीलकर्ता स्वयं विद्वान आयुक्त के समक्ष उपस्थित था और न ही वह अधिवक्ता के माध्यम से ही उपस्थित हुआ इसलिए, नियम 17, उप–नियम (1) के साथ जोड़े गये स्पष्टीकरण के मद्देनजर अपीलीय अदालत को अपीलकर्ता की चूक पर अपील को खारिज करने का एकमात्र जरिया उपलब्ध था और विद्वान आयुक्त के लिए सीपीसी,के आदेश 41 के नियम 17 के उप–नियम (2) के प्रावधान को लागू करने का कोई अवसर नहीं था जो कि तभी लागू हो सकता है जबकि अपीलार्थी न्यायालय में उपस्थित हो और विपक्षी उपस्थित न हो अन्यथा, नहीं। इसलिए स्पष्ट रूप से विद्वान आयुक्त के द्वारा पारित आक्षेपित आदेश अपास्त किये जाने योग्य है। यह अपीलीय न्यायालय को प्रति पेषित करने के लिए एक उपयुक्त मामला है जो कि अपील को नए सिरे से गुणदोष पर इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि प्राप्त होने की तिथि से चार सप्ताह के भीतर निस्तारित की जाय।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, रिट याचिका सफल है और अनुमत है। कमिश्नर द्वारा पारित आदेश गढ़वाल क्षेत्र (रिट याचिका का अनुबंध संख्या 8) को खारिज कर दी जाती है। हर्जे के सम्बन्ध में कोई आदेश नहीं।

मामला विद्वान आयुक्त को भेज जाता है जो कि विविध, अपील क्रमांक 1/1997-98 को नए सिरे से दोनों पक्षों को विधि के अनुसार सुनवाई का मौका देकर इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि प्रस्तुत करने की तिथि से चार सप्ताह के भीतर गुण–दोष पर निस्तारित करे।

दोनों पक्ष विद्वान आयुक्त गढ़वाल क्षेत्र के समक्ष दिनांक 29.09.2006 को उपस्थित होंगे। अपीलीय अदालत में अपील के त्वरित निर्णय के लिए सहयोग करें।

(बी0एस0 वर्मा, जे.)

आर0सी0पी